राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. आपराधिक विविध (पे.) संख्या 4312/2024

सुरेंद्र शर्मा पुत्र सार्दुल शर्मा, उम्र लगभग 49 वर्ष, निवासी फ्लैट नंबर 702, सांची एन्क्लेव, डी.पी.एस. रोड, भुवाणा, उदयपुर (राज.)

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, पीपी के माध्यम से
2. रामलाल पुत्र स्वर्गीय श्री पन्नालाल सुथार, मालिक विश्वकर्मा रोड लाइन्स निवासी देबारी फिलिंग के सामने स्टेशन, देबारी चौराहा, उदयपुर (राज.)

----प्रतिवादीगण

अपीलार्थी(गण) के लिए : सुश्री दीपिका पुरोहित

प्रतिवादी(गण) के लिए : श्री विक्रम शर्मा, पीपी

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

आदेश(मौखिक)

09/07/2024

1. यहां विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश संख्या 1, उदयपुर द्वारा पारित दिनांक 11.06.2024 के आदेश को निरस्त करने की मांग की गई है। उक्त आदेश के तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। इसके बाद याचिकाकर्ता की अनुपलब्धता के कारण, विद्वान विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (एनआई एक्ट मामले) संख्या 6, उदयपुर द्वारा सीआरपीसी की धारा 82 और 83 के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए दिनांक 23.02.2024 को एक और आदेश पारित किया गया, जिसका भी यहां विरोध किया गया है।

2. संक्षेप में कहें तो इस याचिका को दायर करने के लिए प्रासंगिक तथ्य यह हैं कि प्रतिवादी संख्या 2 (शिकायतकर्ता) ने 12,50,000/- रुपये की राशि के लिए जारी किए गए चेक के अनादर के लिए याचिकाकर्ता के खिलाफ एन.आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत शिकायत दर्ज की थी। उक्त शिकायत के आधार पर, विद्वान ट्रायल कोर्ट ने संज्ञान लिया और याचिकाकर्ता को समन जारी किया।

2.1 इसके बाद, आरोप तय किए गए और 13/09/23 को शिकायतकर्ता का साक्ष्य समाप्त हो गया। फिर मामले को याचिकाकर्ता/आरोपी के बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित किया गया। हालांकि, 08/11/23 को याचिकाकर्ता के वकील ने याचिकाकर्ता की व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया। उन्होंने अपरिहार्य परिस्थितियों का हवाला देते हुए याचिकाकर्ता की अनुपस्थिति के कारण स्थगन की मांग की। हालाँकि, विद्वान ट्रायल कोर्ट ने आवेदन को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया, याचिकाकर्ता के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया और दिनांक 08/11/23 के आदेश के तहत उसकी जमानत बांड जब्त कर ली।

2.2. वारंट न्यायालय में तामील नहीं हुआ। परिणामस्वरूप, दिनांक 23/02/24 को विद्वान ट्रायल कोर्ट ने अभियुक्त/याचिकाकर्ता को उद्घोषित अपराधी घोषित कर दिया तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 और 83 के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ कर दी। याचिकाकर्ता को गिरफ्तार करने के लिए स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया।

2.3. ट्रायल कोर्ट के आदेश से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर की। पुनरीक्षण याचिका भी दिनांक 11/06/24 को खारिज कर दी गई। इसलिए तत्काल याचिका।

3. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान लोक अभियोजक को सुना है।

3.1 याचिकाकर्ता के वकील ने याचिका में दिए गए आधारों के आधार पर ही तर्क दिया कि याचिकाकर्ता नियमित रूप से अदालत में उपस्थित रहे। व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट मांगने वाले उनके आवेदन को 08/11/23 को अचानक खारिज कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। ट्रायल कोर्ट ने छूट आवेदन को खारिज करने में गलती की, इस बात पर ध्यान न देते हुए कि यह याचिकाकर्ता के बयान को दर्ज करने के लिए केवल तीसरी सुनवाई थी, जिसमें अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण पहले दो स्थगन थे।

3.2. उन्होंने तर्क दिया कि ट्रायल कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फरार घोषित करने से पहले उचित प्रक्रिया का पालन करने में विफल रहा। कानून के अनुसार न तो रिपोर्ट मांगी गई और न ही बयान दर्ज किए गए।

3.3. न्यायालय ने छूट आवेदन को खारिज करने और गिरफ्तारी वारंट जारी करने में गलती की, जबकि वह प्रतिपूरक लागत के साथ स्थगन दे सकता था या इसके

बजाय अपराध की जमानती प्रकृति को देखते हुए जमानती वारंट जारी कर सकता था।

3.4. न्यायालय ने याचिकाकर्ता को होने वाली अपूरणीय क्षति और चोट पर विचार नहीं किया जो उसे सीआरपीसी की धारा 82/83 के तहत गिरफ्तार किए जाने और मुकदमा चलाए जाने की स्थिति में होगी।

4. विद्वान पीपी दोनों विद्वान न्यायालयों द्वारा पारित किए गए आक्षेपित आदेशों का समर्थन करेंगे, क्योंकि उनके कारण बताए गए हैं।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील को सुनने और आक्षेपित आदेश का अवलोकन करने के पश्चात, मेरा विचार है कि निचली अदालत ने न केवल सीआरपीसी की धारा 82 और 83 के प्रावधानों के प्रवर्तन के बारे में अतिशयोक्तिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया, बल्कि याचिकाकर्ता के उन कारणों को न समझ पाने में भी गंभीर गलती की, जिसके कारण वह उस दिन उपस्थित नहीं हो सका।

6. उनकी गैरहाजिरी स्पष्ट रूप से जानबूझकर नहीं थी और निचली अदालत को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट मांगने वाले आवेदन में अपनाए गए रुख को सरसरी तौर पर खारिज करने से पहले इस पर गौर करना चाहिए था। इसके बजाय, इसने सीधे गैर-जमानती वारंट जारी करने और उसके बाद सीआरपीसी की धारा 82 और 83 के तहत कार्यवाही करने का विकल्प चुना।

7. एक नागरिक की स्वतंत्रता भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत परिकल्पित सबसे आवश्यक मौलिक अधिकारों में से एक है और इसे यांत्रिक तरीके से नहीं छीना जाना चाहिए जैसा कि इस मामले में प्रतीत होता है।

8. इसी तरह की परिस्थितियों में मेरे द्वारा दिए गए एक फैसले का संदर्भ लिया जा सकता है, जब मैं पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में मोहम्मद हरस बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य: सीआरएम-एम संख्या 31385/2023, दिनांक 07.07.2023 को निर्णीत एक मामले में एक न्यायाधीश था, जिससे संबंधित, त्वरित संदर्भ हेतु, नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:-

> "5. सुना गया।
>
> 6. इसमें कोई संदेह नहीं है कि विद्वान ट्रायल कोर्ट को जमानत रद्द करने का विवेकाधिकार है, हालांकि, यह अच्छी तरह से स्थापित है कि इस तरह के आदेश को पारित करने से पहले, अदालत को आरोपी को नोटिस जारी करना आवश्यक है ताकि उसे यह बताने का अवसर मिले कि जमानत क्यों रद्द नहीं की

जानी चाहिए। इस मामले में विशेष न्यायालय, संगरूर के विद्वान न्यायाधीश ने ऐसा तरीका नहीं अपनाया है। केवल इस आधार पर, जमानत रद्द करने की सीमा तक आक्षेपित आदेश को रद्द किया जाना चाहिए।

7. इसके अलावा, जमानत रद्द करना एक गंभीर मामला है और किसी व्यक्ति के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामलों को इस तरह के हल्के और यांत्रिक तरीके से नहीं लिया जाना चाहिए जैसा कि इस मामले में है।

8. इस आधार पर, आक्षेपित आदेश को रद्द किया जाता है। याचिकाकर्ता द्वारा विद्वान ट्रायल कोर्ट के समक्ष पहले से प्रस्तुत जमानत बांड और श्योरिटी बांड पर पहले का जमानत आदेश बहाल हो गया है। याचिकाकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह आज से तीन सप्ताह के भीतर विद्वान ट्रायल कोर्ट के समक्ष कार्यवाही में शामिल हो और बिना किसी चूक के विद्वान ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित होना जारी रखे।

9. तदनुसार याचिका स्वीकार की जाती है।"

9. याचिकाकर्ता के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 82 और 83 के तहत प्रक्रिया जारी करने के लिए, प्रदीप कुमार बनाम पंजाब राज्य और अन्य (सीआरएम-एम-41656-2023 (ओ एंड एम)) के मामले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले का संदर्भ लिया जा सकता है, जो 23.08.2023 को तय किया गया था, जो संयोग से मेरे द्वारा ही दिया गया था। इससे संबंधित प्रासंगिक जानकारी नीचे दी गई है:-

"13.1 दंड प्रक्रिया संहिता (जिसे आगे 'संहिता' कहा जाएगा) की धारा 82 के तहत किसी व्यक्ति को घोषित व्यक्ति या अपराधी घोषित करने पर, संहिता की धारा 83, 84 और 85 में वर्णित उसकी संपत्ति की कुर्की और बिक्री का परिणामी निहितार्थ होता है। इसके अलावा, ऐसी घोषणा भारतीय दंड संहिता की धारा 174-ए के तहत व्यक्ति पर आपराधिक दायित्व डालती है, जिसमें सात साल तक की कैद और मौद्रिक जुर्माना हो सकता है। इसके परिणामस्वरूप, संबंधित व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के मौलिक अधिकारों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित

करने वाले गहन और दूरगामी परिणाम होते हैं। इसलिए, यह अनिवार्य हो जाता है कि न्यायालय वैधानिक आवश्यकताओं का अक्षरशः और भावना से पालन करें, तथा किसी व्यक्ति को घोषित व्यक्ति या अपराधी घोषित करने और उपर्युक्त धारा के तहत आपराधिक दायित्व लागू करने से पहले रिकॉर्ड पर उनके अनुपालन को विधिवत दर्शाएं।

13.2 संहिता की धारा 82(1) में यह अनिवार्य किया गया है कि उद्घोषणा के लिए संबंधित व्यक्ति को उद्घोषणा प्रकाशन की तिथि से कम से कम तीस दिन की पूर्व सूचना के साथ निर्दिष्ट स्थान और समय पर उपस्थित होना होगा। उप-धारा (2) उद्घोषणाओं के प्रकाशन पर व्यापक मार्गदर्शन प्रदान करती है, जबकि उप-धारा (3) दृढ़ता से स्थापित करती है कि जारी करने वाले न्यायालय द्वारा लिखित कथन इस धारा की आवश्यकताओं के अनुपालन का निर्णायक साक्ष्य होगा। इसके अतिरिक्त, धारा 83(1) न्यायालय को लिखित रूप में दर्ज कारणों से उद्घोषित व्यक्ति की किसी भी चल या अचल संपत्ति की कुर्की का आदेश देने का अधिकार देती है।

13.3 ऐसे मामलों में जहां कोई आरोपी व्यक्ति संहिता की धारा 82(1) के तहत उद्घोषणा के प्रकाशन के बाद भी उपस्थित होने में विफल रहता है, न्यायालय उनकी संपत्ति की कुर्की और बिक्री के लिए संहिता की धारा 83, 84 और 85 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई शुरू कर सकता है। इसके अलावा, न्यायालय व्यक्ति की अनुपस्थिति में भी गवाहों की जांच कर सकता है, जैसा कि संहिता की धारा 299 में निर्धारित है।

19. मामले से अलग होने से पहले, सुनील त्यागी सुप्रा में दिए गए फैसले का लाभ उठाते हुए, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत उद्घोषणा जारी करने, उसके प्रकाशन, संबंधित व्यक्ति को 'घोषित व्यक्ति' या 'घोषित अपराधी' घोषित करने और जहां आवश्यक समझा जाए, आईपीसी की धारा 74-ए के तहत अपराध के लिए व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करना वांछनीय माना जाता है। तदनुसार, निम्नलिखित दिशा-निर्देश तैयार किए जा रहे हैं:

उद्घोषणा जारी करना:

i. धारा 82 सीआरपीसी के तहत उद्घोषणा जारी करने से पहले, न्यायालय को अन्य कानूनी रूप से स्वीकार्य साधनों के माध्यम से उपस्थिति सुनिश्चित करने के अपने पिछले प्रयासों पर विचार-विमर्श करना चाहिए। इन प्रयासों में समन जारी करना, अभियुक्त के खिलाफ जमानती और/या गैर-जमानती वारंट का निष्पादन शामिल है। न्यायालय को इन प्रयासों से उत्पन्न परिणामों को प्रासंगिक तथ्यों और व्यापक विवरणों के साथ पूरी तरह से दस्तावेजित करना चाहिए। न्यायालय के लिए यह संतोषजनक रूप से सुनिश्चित करना आवश्यक है कि संबंधित व्यक्ति वास्तव में फरार हो गया है या गिरफ्तारी वारंट के निष्पादन से बचने के लिए खुद को छिपा रहा है।

ii. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 में वर्णित "विश्वास करने का कारण" वाक्यांश यह दर्शाता है कि न्यायालय को उपलब्ध साक्ष्यों और सामग्रियों से यह विश्वास प्राप्त करना चाहिए कि संबंधित व्यक्ति फरार हो गया है या गिरफ्तारी वारंट के निष्पादन से बचने के लिए खुद को छिपा रहा है।

iii. इसके अलावा, उद्घोषणा में यह भी निर्धारित किया जाना चाहिए कि संबंधित व्यक्ति को कब और कहाँ उपस्थित होना चाहिए। एक निर्दिष्ट स्थान और समय निर्धारित किया जाना चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि उपस्थिति के लिए निर्दिष्ट तिथि और समय उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से तीस दिन से कम नहीं होना चाहिए।

उद्घोषणा का प्रकाशन-

iv. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82(2) में उल्लिखित उद्घोषणा के प्रकाशन में तीनों निर्धारित विधियों का पालन करना अनिवार्य है, अर्थात्:

(क) शहर या गांव में किसी प्रमुख स्थान पर उद्घोषणा का सार्वजनिक वाचन, जहां व्यक्ति सामान्यतः निवास करता है।
(ख) व्यक्ति के घर या निवासस्थान में किसी प्रमुख स्थान पर उद्घोषणा को चिपकाना।

(ग) न्यायालय परिसर में किसी प्रमुख स्थान पर उद्घोषणा का प्रदर्शन।

v. उद्घोषणा के प्रकाशन की तीनों उपरोक्त विधियों का पालन करना होगा। इनमें से किसी या सभी का पालन न करने पर उद्घोषणा कानून की दृष्टि में अमान्य हो जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तीन उप-धाराएं (क) से (ग) परस्पर अनन्य हैं।

vi. यदि न्यायालय को ऐसा लगता है, तो अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उपर्युक्त तीन तरीकों के अतिरिक्त, वह अपने विवेक से, उस भौगोलिक क्षेत्र में प्रसारित होने वाले दैनिक समाचार पत्र में उद्घोषणा की एक प्रति प्रकाशित करने का निर्देश भी दे सकता है, जहां उक्त व्यक्ति सामान्यतः निवास करता है।

vii. यदि न्यायालय अपने विवेकानुसार समाचार पत्र में उद्घोषणा के प्रकाशन का आदेश देता है, तो वह यह भी निर्देश देगा कि समाचार पत्र एजेंसी, समाचार पत्र में उद्घोषणा के प्रकाशन के पश्चात, इसकी एक प्रति अभियुक्त के पते पर भेजेगी, जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 5 नियम 10 के अनुसार सिविल मामलों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया है। संक्षेप में, यह पूरक उपाय यह सुनिश्चित करता है कि अभियुक्त को उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही के बारे में विधिवत जानकारी दी जाए।

"घोषित व्यक्ति" या "घोषित अपराधी" के रूप में घोषणा:

viii. संबंधित व्यक्ति को "घोषित व्यक्ति" या "घोषित अपराधी" के रूप में घोषित करने से पूर्व न्यायालय सुसंगत तथ्यों का उल्लेख करते हुए एक आदेश पारित करेगा तथा अपनी संतुष्टि दर्ज करेगा कि उद्घोषणा निर्धारित तरीके से विधिवत तथा उचित रूप से प्रकाशित की गई है।

ix. इसके अलावा, उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि तथा व्यक्ति की उपस्थिति के लिए उद्घोषणा में इंगित तिथि के बीच कम से कम तीस दिन की अवधि समाप्त हो गई हो। यदि उद्घोषणा के प्रकाशन और उसमें उपस्थिति के लिए निर्दिष्ट तिथि के बीच का अंतराल तीस दिनों से कम है, तो उद्घोषणा का ऐसा प्रकाशन संबंधित व्यक्ति को

"घोषित व्यक्ति" या "घोषित अपराधी" के रूप में नामित करने के लिए आधार के रूप में काम नहीं कर सकता है।

x. किसी व्यक्ति को "घोषित अपराधी" तभी घोषित किया जा सकता है, जब धारा 82 सीआरपीसी की उपधारा (1) के तहत प्रकाशित उद्घोषणा नीचे दी गई तालिका के अनुसार किसी भी अपराध के संबंध में हो:-

आईपीसी के तहत अपराध	विवरण
302	हत्या के लिए सजा
304	सदोष मानव वध जो हत्या के बराबर न हो
364	हत्या करने के उद्देश्य से अपहरण करना
367	किसी व्यक्ति को गंभीर चोट पहुँचाने, गुलाम बनाने आदि के लिए उसका अपहरण करना।
382	मृत्यु, चोट या अवरोध पैदा करने की तैयारी के बाद चोरी
392	लूट के लिए सज़ा
393	लूट करने का प्रयास
394	लूट करते समय स्वेच्छा से चोट पहुँचाना
395	डकैती के लिए सजा.
396	हत्या के साथ डकैती
397	लूट या डकैती, जिसमें मृत्यु या गंभीर चोट पहुँचाने का प्रयास किया गया हो।
398	घातक हथियार से लैस होकर डकैती या लूटपाट करने का प्रयास करना।
399	डकैती डालने की तैयारी करना
400	डकैतों के गिरोह से संबंधित होने पर सजा
402	डकैती करने के उद्देश्य से एकत्रित होना
436	घर आदि को नष्ट करने के इरादे से आग या विस्फोटक पदार्थ से शरारत करना।
449	अपराध करने के लिए घर में घुसना मृत्यु दंडनीय
459	गुप्त रूप से घर में घुसने या घर में सेंध लगाने के दौरान गंभीर चोट पहुंचाना
460	सभी व्यक्ति जो संयुक्त रूप से गुप्त रूप से

	घर में घुसने या रात में घर में सेंध लगाने में शामिल हैं, उन्हें दण्डित किया जाएगा, यदि उनमें से किसी एक के कारण मृत्यु या गंभीर चोट पहुँचती है।

xi. यदि उपरोक्त अपराधों का आरोपी व्यक्ति उद्घोषणा द्वारा अपेक्षित निर्दिष्ट स्थान और समय पर उपस्थित होने में विफल रहता है, तो न्यायालय ऐसी जांच करने के बाद, जैसा वह उचित समझे, उसे उद्घोषित अपराधी घोषित कर सकता है और इस आशय की घोषणा कर सकता है।

xii. अन्य सभी कथित अपराधों में, संबंधित व्यक्ति को "उद्घोषित व्यक्ति" घोषित किया जा सकता है और किया जाएगा।"

10. सीआरपीसी की धारा 82/83 के तहत उद्घोषणा कार्यवाही शुरू करने वाला दिनांक 23.02.2024 का आक्षेपित आदेश उपरोक्त मापदंडों के अनुरूप नहीं है। परिणामस्वरूप, ऊपर बताए गए मानदंड को लागू करते हुए, दिनांक 11.06.2024 और 23.02.2024 के दोनों आक्षेपित आदेश रद्द किए जाते हैं। याचिकाकर्ता को अगली सुनवाई की तारीख पर विद्वान न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है और यह भी आदेश दिया जाता है कि याचिकाकर्ता द्वारा पहले प्रस्तुत किए गए जमानत बांड को उसके मूल रूप में बहाल किया जाए। कानून के अनुसार आगे की कार्यवाही की जाए।

11. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा),जे

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।
अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।